सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09.10.2024

इटावा पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना कारित करने वाले 03 चोरों को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.08.2024 को आईजीआरएस के माध्यम से थाना बढपुरा पर सूचना प्राप्त हुयी कि दिनांक 28.07.2024 की रात्रि को अज्ञात चोर वादी करन सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम बाहुरी थाना बढ़पुरा जनपद इटावा की 02 भैंसे चोरी कर के ले गये है। जिसके संबंध मे थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0संख्या 46/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को थाना बढ़पुरा पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त मे भैस चोरी की घटना से संबंधित अभियुक्त रेलवे ओवर ब्रिज के पास ग्राम बाहुरी की ओर से ब्रिज की ओर आ रहे है । सूचना पर कार्यवाही करते हुये थाना बढ़पुरा पुलिस टीम द्वारा **03 व्यक्तियों प्रदीप नागर उर्फ होरीलाल पुत्र विनोद नागर उर्फ पप्पू, बब्लू पुत्र राजाराम तथा विजय नागर उर्फ गोलू पुत्र बब्लू नागर को बाहुरी रेलवे ओवर ब्रिज नहर के पास समय 11:10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग मिलकर गाँवो में जाकर दिन में रैकी करते है तथा फिर भैसों की चोरी करते है। हम तीनों ने करीब 02 माह पहले ग्राम बाहुरी से दो भैसे चोरी की थी जिनको हमने जानवरों के बाजार से बाहर राह चलते आदमी को कम दाम पर बेच दिया था।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना बढ़पुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 46/2024 धारा 303(2) बीएनएस मे धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. प्रदीप नागर उर्फ होरीलाल पुत्र विनोद नागर उर्फ पप्पू निवासी हठीला थाना ऊसराहार जनपद इटावा हाल पता ग्राम कुन्डेश्वर थाना बढपुरा जनपद इटावा **उम्र 25 वर्ष।**
2. बब्लू पुत्र राजाराम निवासी जमधर थाना बढपुरा जनपद इटावा **उम्र 45 वर्ष।**
3. विजय नागर उर्फ गोलू पुत्र बब्लू नागर निवासी जमधर थाना बढपुरा जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- 46/2024 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस 2023 थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

प्रदीप कुमार पुत्र पप्पू नागर

1. मु0अ0सं0 49/20 धारा 304 बी/498 ए भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 03/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।
3. मु0अ0संख्या 46/2024 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 8,000/- रुपये

पुलिस टीमः-निरी0 श्री गणेश शंकर द्विवेदी प्रभारी थाना बढ़पुरा,उ0नि0 शम्भू दयाल, का0 जितेन्द्र कुमार व का0 सागर।